

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,
बिहार शहरी विकास अभिकरण,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, पूर्णियाँ।

कार्यपालक अभियंता,
जिला शहरी विकास अभिकरण,
पूर्णियाँ।

पटना, दिनांक-01/11/18

विषय:- ई-टेंडरिंग पद्धति द्वारा नगर निगम, पूर्णियाँ अन्तर्गत निविदा आमंत्रण सूचना सं०-07/2017-18 के गुप सं०-43 के कार्य वार्ड सं०-31 में बीबीगंज पुल से बीबीगंज आदिवासी टोला और आदिवासी टोला बीबीगंज पुल से दासजी के घर भाया साधु अस्थान तक पक्कीकरण एवं कलभर्ट निर्माण कार्य के निविदा के संबंध में।

प्रसंग:- नगर आयुक्त, नगर निगम, पूर्णियाँ का पत्रांक-436 दिनांक-23.05.2018 एवं इस कार्यालय के पत्रांक-706 दिनांक-15.06.2018 एवं पत्रांक-754 दिनांक-19.06.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में प्राप्त परिवाद की समीक्षा मुख्य अभियंता के स्तर पर गठित परिवाद समिति द्वारा दिनांक-28.09.2018 को आहूत बैठक में की गयी।

उपरोक्त के आलोक में निविदाकारों के निविदा कागजातों की पुर्नमूल्यांकन किया गया तथा समीक्षोपरान्त आपत्तिकर्ता/परिवादी (1) श्री दीपक कुमार, (2) श्री अशोक कुमार सिंह, (3) श्री संजय कुमार पाण्डेय के निविदा कागजातों एवं (4) श्री ऋषिकेश कुमार के दिये गये तथ्यों को निविदा आमंत्रण सूचना के शर्तों के अनुरूप नहीं पाये जाने के आलोक में उक्त आपत्ति/परिवाद को अमान्य करने की अनुशंसा की गयी, जिस पर विभागीय अनुमोदन प्राप्त है।

उक्त के आलोक में मान्य/अमान्य निविदाकारों की सूची निम्नवत् है:-

गुप सं०	कार्य का नाम	मान्य निविदाकार (निविदा आमंत्रण सूचना के शर्तों को पालन करने के कारण।)	अमान्य निविदाकार (निविदा आमंत्रण सूचना के कंडिकाओं का अनुपालन नहीं करने के कारण)
43.	नगर निगम, पूर्णियाँ अन्तर्गत वार्ड सं०-31 में बीबीगंज पुल से बीबीगंज आदिवासी टोला और आदिवासी टोला बीबीगंज पुल से दासजी के घर भाया साधु अस्थान तक पक्कीकरण एवं कलभर्ट निर्माण कार्य। (बिटुमिनस कार्य)	(1) मे० सिद्धि विनायक इन्टरप्राइजेज उद्धृत दर:- B.O.Q से 10% कम दर पर	(1) अभिनव ट्रेडर्स उद्धृत दर:- B.O.Q से 10% कम दर पर कंडिका 18-4(ड) का अनुपालन नहीं करने के कारण। (नोजल भाइब्रेटर का प्रमाणक संलग्न नहीं रहने के कारण) (2) श्री सन्नी विशाल उद्धृत दर:- B.O.Q से 10% कम दर पर कंडिका 18-4(ड) का अनुपालन नहीं करने के कारण। (नोजल भाइब्रेटर का प्रमाणक संलग्न नहीं रहने के कारण) (3) श्री दीपक कुमार उद्धृत दर:- B.O.Q से 10% कम दर पर कंडिका 18-4 (च) का अनुपालन नहीं करने

के कारण।

(बिट्टुमिनस कार्य से संबंधित वांछित यंत्र-संयंत्र का प्रमाणक संलग्न नहीं रहने के कारण)

(4) श्री सोहन कुमार राय

उद्धृत दर:- B.O.Q से 10% कम दर पर कंडिका 18-4 (च) का अनुपालन नहीं करने के कारण।

(बिट्टुमिनस कार्य से संबंधित वांछित यंत्र-संयंत्र का प्रमाणक संलग्न नहीं रहने के कारण)

(5) श्री सुकेश कुमार सिंह

उद्धृत दर:- B.O.Q से 10% कम दर पर कंडिका 18-4 (च) का अनुपालन नहीं करने के कारण।

(बिट्टुमिनस कार्य से संबंधित वांछित यंत्र-संयंत्र का प्रमाणक संलग्न नहीं रहने के कारण)

(6) ईशा मोहम्मद अंसारी

उद्धृत दर:- B.O.Q से 10% कम दर पर कंडिका 18-4 (च) का अनुपालन नहीं करने के कारण।

(बिट्टुमिनस कार्य से संबंधित वांछित यंत्र-संयंत्र का प्रमाणक संलग्न नहीं रहने के कारण)

(7) श्री अविनाश कुमार

उद्धृत दर:- B.O.Q से 10% कम दर पर कंडिका 18-4 (च) का अनुपालन नहीं करने के कारण।

(बिट्टुमिनस कार्य से संबंधित वांछित यंत्र-संयंत्र का प्रमाणक संलग्न नहीं रहने के कारण)

(8) श्री अशोक कुमार सिंह

उद्धृत दर:- B.O.Q से 10% कम दर पर कंडिका 18-4 (ड़) का अनुपालन नहीं करने के कारण।

(नोजल भाइब्रेटर का प्रमाणक संलग्न नहीं रहने के कारण)

(9) श्री कुमार गौरव

उद्धृत दर:- B.O.Q से 10% कम दर पर कंडिका 18-4 (च) का अनुपालन नहीं करने के कारण।

(बिट्टुमिनस कार्य से संबंधित वांछित यंत्र-संयंत्र का प्रमाणक संलग्न नहीं रहने के कारण)

(10) श्री मनोज कुमार चौधरी

उद्धृत दर:- B.O.Q से 10% कम दर पर कंडिका 18-4 (च) का अनुपालन नहीं करने के कारण।

			(बिट्टुमिनस कार्य से संबंधित वांछित यंत्र-संयंत्र का प्रमाणक संलग्न नहीं रहने के कारण) (11) श्री संजय कुमार पाण्डेय उद्धृत दर:- B.O.Q से 10% कम दर पर कंडिका 18-4(च) का अनुपालन नहीं करने के कारण। (हॉट मिक्स प्लांट के स्थान पर मिनी हॉट मिक्स प्लांट का कागजात संलग्न रहने के कारण।)
--	--	--	---

उपरोक्त 12 निविदाकारों में से एकमात्र निविदाकारों की निविदा मान्य है।

उल्लेखनीय है कि कार्यपालक अभियंता, जुडा, पूर्णियां द्वारा अनुमोदित परिमाण विपत्र में 1 मद L/S के आधार पर (एक मुश्त राशि) अनुमोदित है, जिसे हटाते हुए संशोधित परिमाण विपत्र की राशि 49,55,399/- रुपये मात्र आती है। अतः पुनर्निविदा में तदनुसार परिमाण विपत्र अपलोड किया जाय।

फलतः प्रथमबार निविदा आमंत्रित रहने एवं एकमात्र निविदाकार के मान्य रहने के कारण पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना सं0-3162(S) दिनांक-09.05.2016 के आलोक में पुनर्निविदा का निदेश दिया जाता है।

इस कार्यालय के पत्रांक-707 दिनांक-15.06.2018 को इस हद तक संशोधित किया जाता है।

विश्वासभाजन

अधीक्षण अभियंता,

बिहार शहरी विकास अभिकरण,
 नगर विकास एवं आवास विभाग
 बिहार, पटना।